

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

3 जुलाई, 2013
Dated.....

फा. सं. सी-42/16/2011-एमपीलैड्स
सेवा में,

1. आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के लिए फर्नीचर की खरीद ।

महोदय,

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 15.01.2007 के परिपत्र सं. एल-10/24/2004-एमपीलैड्स, जो सरकारी विद्यालयों के लिए फर्नीचर की खरीद की स्वीकृति प्रदान करता है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध II-क में मद सं. 6 के रूप में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाए:-

- 6.1 जब कभी कोई संसद सदस्य सरकारी अस्पतालों तथा शैक्षिक संस्थानों के लिए पूंजीगत कार्यों हेतु नए प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो वह सचल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर तथा गैर उपभोज्य वस्तुएं) के खरीद की सिफारिश कर सकता है । यह प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पूंजीगत कार्यों के लिए होगा और सचल मदों (फर्नीचर, उपस्कर आदि) संबंधी सम्बद्ध व्यय कुल लागत का 10% से अधिक नहीं होगा ।
2. सचल मदों जैसे फर्नीचर, उपस्कर आदि की खरीद के लिए सिफारिशें मौजूदा सरकारी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नहीं की जा सकती हैं ।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,
श्री. साईबाबा
3/7/13
(डी. साईबाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें ।